सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2022/270 दर्ज तिथिः—22.08.2022

1. हरजीराम वल्द कुंभाराम
2. कालूराम वल्द कुंभाराम
3. नानगाराम वल्द कुंभाराम
4. नैनाराम वल्द कुंभाराम
5. तेजाराम वल्द कुंभाराम
   कौज दर्जी साकिन रामजी का गोल फांटा ग्राम पंचायत रामजी का गोल फांटा पटवार मंडल पीपराली तहसील गुडामालानी

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. चोला वल्द जोगा
   कौज दर्जी साकिन रामजी का गोल फांटा ग्राम पंचायत रामजी का गोल फांटा पटवार मंडल पीपराली तहसील गुडामालानी
2. नर्मदा नहर परियोजना वृत गुडामालानी अधिशाषी अभियंता जल संसाधन राजस्थान सरकार
3. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे गुडामालानी
4. तहसीलदार गुडामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है
   - कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 843/3/4.8158 है0, 843/6/0.7689 है0, मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.10 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested

गुडामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 843 / 7 / 4.8158 है0, 843 / 4 / 0.7689 है0, मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा एक ही था। प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के मध्य में खसरा संख्या 843 / 5 गैर मुमकिन नहर रिकॉर्ड में दर्ज होकर मौके पर चालू है।

- कि उक्त भूमि का मूल खसरा संख्या 843 था। जिसमें से खसरा संख्या 843 / 5 गैर मुमकिन नहर निकलने के समय खसरा संख्या 843 / 7 मौके पर 33—18 बीघा / 5.4875 है0, है लेकिन रिकॉर्ड में 29—15 बीघा / 4.8158 है0 ही दर्ज किया गया। इसी प्रकार खसरा संख्या 843 / 3 रकबा 4.8158 है0 / 29—15 बीघा, रिकॉर्ड में दर्ज किया गया लेकिन मौके पर 25—12 बीघा / 4.1439 है0, है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी रिकॉर्ड में कम कर दी गई। जबकि अप्रार्थी की आराजी रिकॉर्ड में बढा दी गई।
- इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 02 व 03 के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

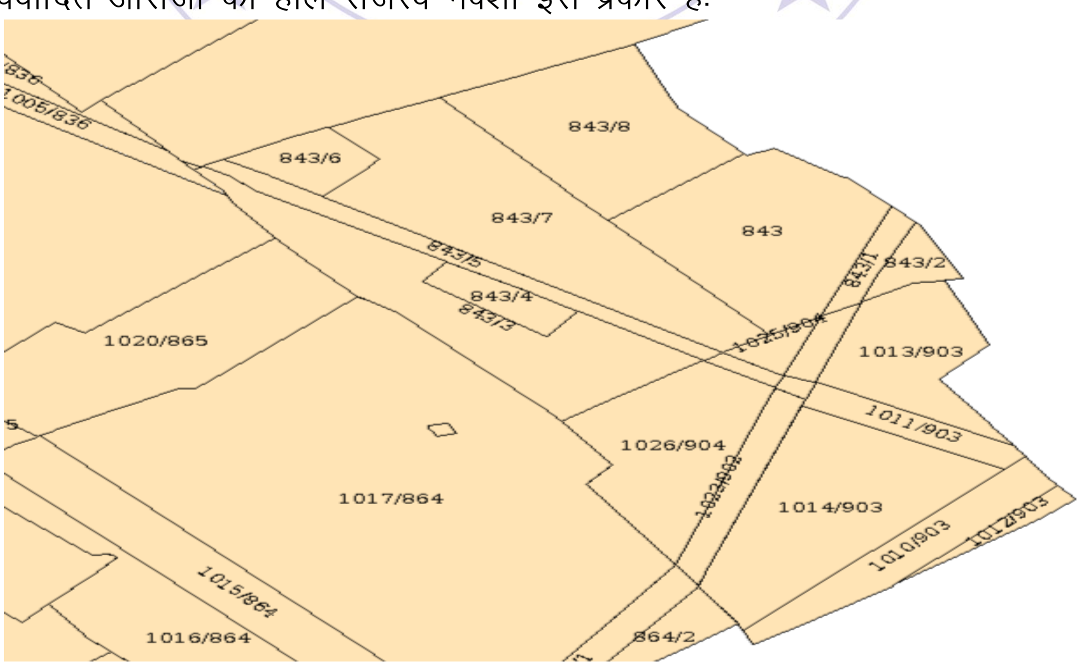

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.10 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 843 / 3 / 4.8158 है0, 843 / 6 / 0.7689 है0, मौजा रामजी का गोल फांटा तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 843 / 3 / 4.8158 है0, 843 / 6 / 0.7689 है0, मौजा रामजी का गोल फांटा पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

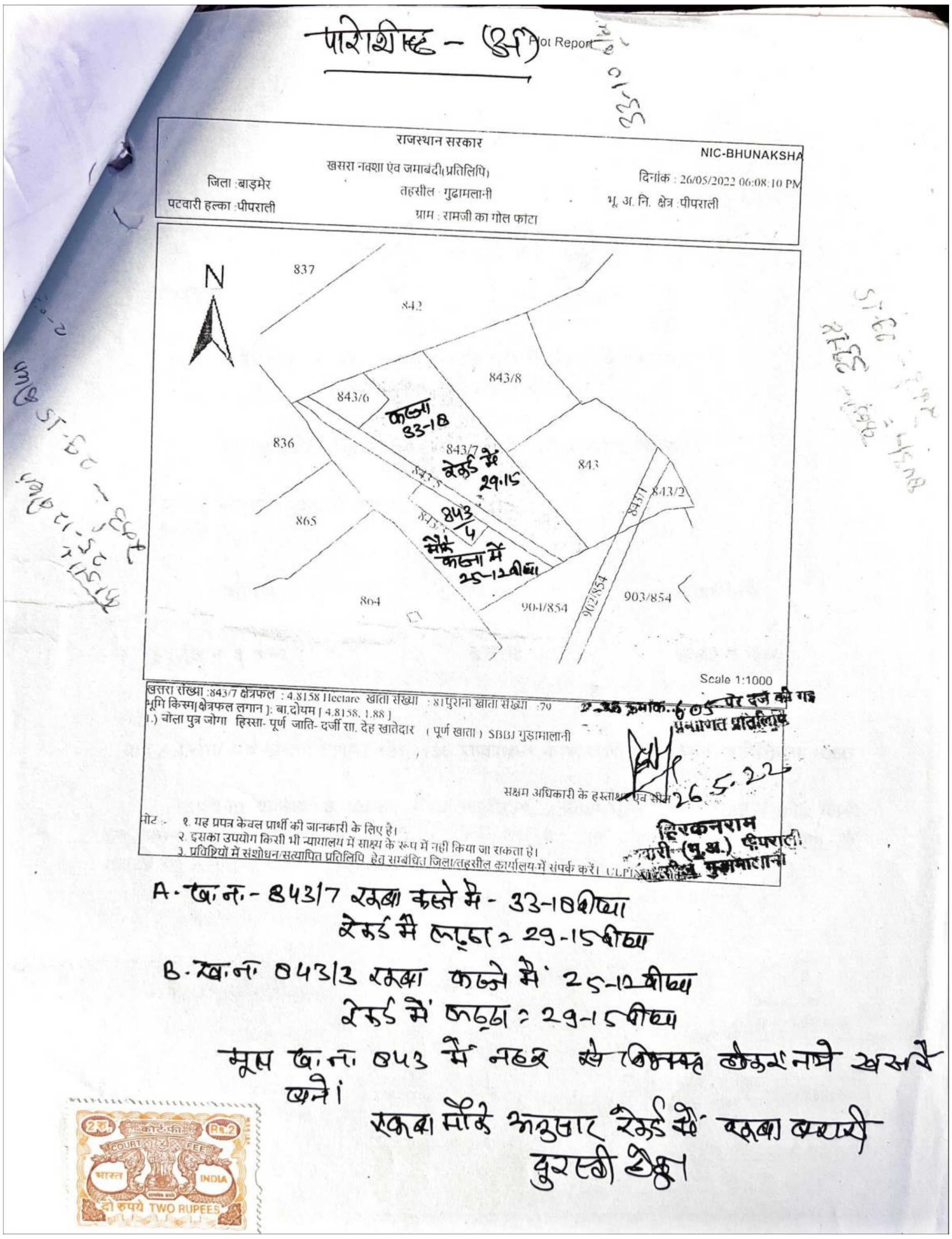

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.10 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1319 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1319 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

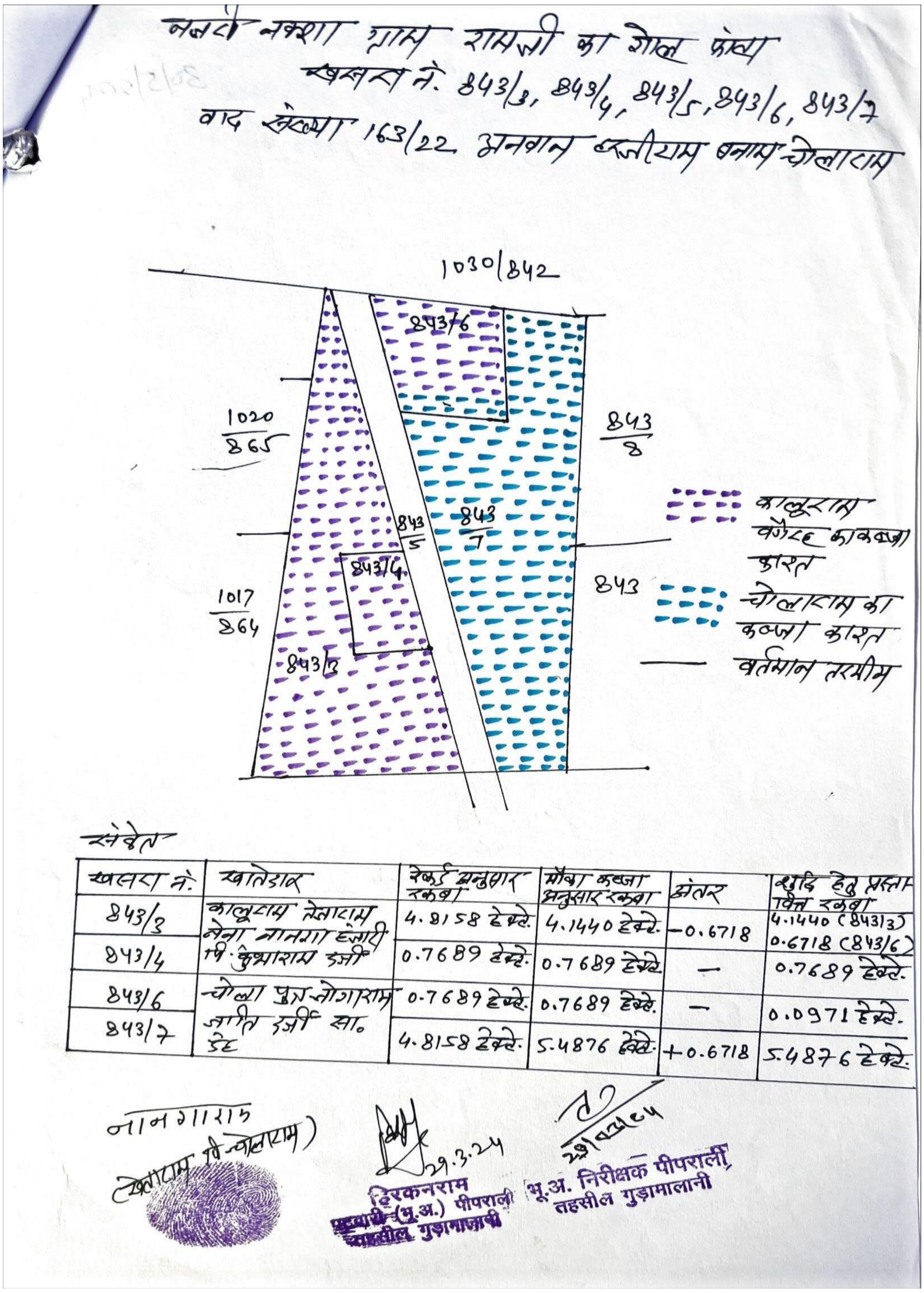

खसरा नं.	खातेदार	रेकर्ड अनुसार रकबा	मौका कब्जा अनुसार रकबा	अंतर	शुद्धि हेतु प्रस्तावित रकबा
843/3	कालूराम नेनाराम नेना नागराम हजारी पि. कुम्भाराम दर्जी	4.8158 हेक्टे.	4.1440 हेक्टे.	-0.6718	4.1440 (843/3) 0.6718 (843/6)
843/4		0.7689 हेक्टे.	0.7689 हेक्टे.	—	0.7689 हेक्टे.
843/6	चोला पुत्र जोगाराम जाति दर्जी सा. देह	0.7689 हेक्टे.	0.7689 हेक्टे.	—	0.0971 हेक्टे.
843/7		4.8158 हेक्टे.	5.4876 हेक्टे.	+0.6718	5.4876 हेक्टे.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.10 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1319 दिनांक 27.05. 2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

    1. उक्त अशुद्धि ग्राम रामजी का गोल फांटा के मूल खसरा संख्या 843 का आपसी सहमति से विभाजन करते समय मौके पर चल रही नर्मदा नहर के खसरा संख्या 843 / 5 व नर्मदा नहर के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 843 / 3 / 4.8158 है0 व उत्तर दिशा में खसरा संख्या 843 / 7 / 4.8158 है0 दर्ज किये गये। जबकि मौका अनुसार संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खसरा संख्या 843 / 3 रकबा 4.1440 है0 व खसरा संख्या 843 / 7 रकबा 5.4876 है0 है। जो सही किया जाना उचित हैं। खसरा संख्या 843 / 4 व 843 / 6 का रकबा रिकॉर्ड व मौका अनुसार सही हैं।
    2. संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार खसरा संख्या 843 / 3 / 4.8158 है0, के स्थान पर रकबा 4.1440 है0, व खसरा संख्या 843 / 4 रकबा 0.7689 है0 व खसरा संख्या 843 / 6 रकबा 0.7689 है0 में से 0.6718 है0, खातेदार कालूराम वगैरहा के नाम व खसरा संख्या 843 / 7 रकबा 4.8158 है0 के स्थान पर 5.4876 है0 व खसरा संख्या 843 / 6 में से रकबा 0.0971 है0, चोलाराम के नाम सही किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1319 दिनांक 27.05. 2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का मूल खसरा एक ही था। उक्त मूल खसरे के मध्य में नहर निकलने के पश्चात की गई तरमीम से रिकॉर्ड में गलती हुई। साथ ही प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा भूमि विनिमय के बाद प्रकरण में और जटिलता आ गई। उक्त राजस्व रिकॉर्ड व भूमि विनिमय की त्रुटि को दूर करने हेतु मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू. अ. / 2024 / 1319 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/1319 दिनांक 27.05. 2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 843/3/4. 8158 है0, के स्थान पर रकबा 4.1440 है0, व खसरा संख्या 843/4 रकबा 0. 7689 है0 व खसरा संख्या 843/6 रकबा 0.7689 है0 में से 0.6718 है0, खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.10 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested

कालूराम वगैरहा के नाम व खसरा संख्या 843/7 रकबा 4.8158 है0 के स्थान पर 5.4876 है0 व खसरा संख्या 843/6 में से रकबा 0.0971 है0, चोलाराम के नाम तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर／उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.10 13:21:04 IST
Reason: SelfAttested